Date: 18 **जुलाई** 2023

भारत-फ्रांस संबंध

पाठ्यक्रम: जीएस 2 / भारत और विदेश संबंध

संदर्भ में-

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी **पेरिस में बैस्टिल दिवस समारोह में** विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए।

बैस्टिल दिवस सैन्य परेड-

- **बैस्टिल दिवस:** फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस, जिसे बैस्टिल दिवस या फेटे नेशनेल फ़ैन्काइज़ के नाम से भी जाना जाता है, 14 जुलाई को मनाया जाता है और इसमें एक भव्य सैन्य परेड, नृत्य और समारोह आयोजित किए जाते हैं।
- **ऐतिहासिक महत्व:** 14 जुलाई 1789 में पेरिस के एक किले बैस्टिल पर हमले की याद दिलाता है, जिसने फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत को चिह्नित किया और दुनिया भर में लोकतांत्रिक विचारों को प्रभावित किया।
- **फेटे डे ला फेडरेशन:** 14 जुलाई को फ्रांसीसी लोगों की एकता का जश्न मनाने के लिए 1790 में आयोजित फेटे डे ला फेडरेशन की सालगिरह भी है। यह फ्रांसीसी राजशाही के अंत और एक नई व्यवस्था की स्थापना का प्रतीक था।
- **पृष्ठभूमि:** बैस्टिल की अशांति गरीबी , फसल की विफलता और उच्च खाद्य कीमतों सहित सामाजिक और आर्थिक तनावों से पहले हुई थी, जिसके कारण आम लोगों में असंतोष पैदा हुआ।
- बैस्टिल दिवस की घटनाएँ: 14 जुलाई, 1789 को, एक बड़ी सशस्त्र भीड़ ने बैस्टिल के आत्मसमर्पण की मांग करते किया। प्रारंभिक प्रतिरोध के बाद, किले पर कब्ज़ा कर लिया गया, जो क्रांतिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी।

भारत-फ्रांस संबंध-

- फ्रांस **भारत का सबसे पुराना रणनीतिक साझेदार है** और दोनों देशों के बीच संबंधों में टकराव के कोई बिंदु नहीं हैं।

व्यापार और वाणिज्य:

- फ्रांस 2021-22 में 12.42 अरब डॉलर के वार्षिक व्यापार के साथ भारत के एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है।

- फ्रांस पिछले दो दशकों में 10.31 बिलियन डॉलर के संचयी निवेश के साथ भारत में 11 वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है, जो भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह का 1.70% है।

रक्षा:

- फ्रांस **2017-2021 में दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता** बनकर भारत के लिए एक प्रमुख रक्षा भागीदार **के रूप में उभरा है**।
- महत्वपूर्ण रक्षा सौदों और सैन्य से सैन्य जुड़ाव में वृद्धि के साथ फ्रांस भारत के लिए एक प्रमुख रणनीतिक भागीदार है। **कुछ उदाहरण हैं:** 2005 के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के तहत भारत में निर्मित की जा रही **फ्रांसीसी स्कॉर्पीन पारंपरिक पनडुब्बियों** को शामिल करना , भारतीय वायु सेना के 36 राफेल लड़ाकू विमानों के ऑर्डर को पूरा **किया गया**।
- टाटा समूह ने **गुजरात के वडोदरा में सी-295 सामरिक परिवहन विमान बनाने के लिए** एयरबस के साथ करार किया है।
- इन संबंधों को सैन्य संवादों के मजबूत नेटवर्क के साथ और मजबूत किया जाता है और नियमित रूप से संयुक्त अभ्यास – **वरुण (नौसेना), गरुड़ (वायु सेना), और शक्ति (सेना) आयोजित किए जाते हैं**।

जलवायु परिवर्तन:

- भारत ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने की दिशा में अपनी मजबूत प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए पेरिस समझौते में फ्रांस का समर्थन किया है।
- नई दिल्ली और पेरिस ने जलवायु परिवर्तन पर अपने संयुक्त प्रयासों के हिस्से के रूप में , **2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शुरू किया**।

ग्रीन हाइड्रोजन पर रोड मैप:

- दोनों पक्ष जलवायु परिवर्तन की पहलों पर भी घनिष्ठ सहयोग करते हैं। हाल ही में उन्होंने **ग्रीन हाइड्रोजन पर एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किए**, जिसका उद्देश्य डीकार्बोनाइज्ड हाइड्रोजन की वैश्विक आपूर्ति के लिए एक विश्वसनीय और टिकाऊ मूल्य श्रृंखला स्थापित करने के लिए "फ्रांसीसी और भारतीय हाइड्रोजन पारिस्थितिक तंत्र को एक साथ लाना" है।

हिंद-प्रशांत:

- "**हिंद महासागर क्षेत्र में भारत-फ्रांस सहयोग का संयुक्त रणनीतिक दृष्टिकोण" हिंद महासागर में** फ्रेंको-भारतीय संयुक्त गश्त जैसे संबंधों को मजबूत करने के लिए एक खाका प्रस्तुत करता है।
- भारत और फ्रांस एक **इंडो-पैसिफिक त्रिपक्षीय विकास सहयोग कोष स्थापित करने** पर सहमत हुए जो क्षेत्र के देशों के लिए अभिनव समाधानों का समर्थन करेगा।
- दोनों भागीदारों ने **अफ्रीका के पूर्वी तट से सुदूर प्रशांत तक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए** संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक त्रिपक्षीय समूह का गठन किया है।

भारतीय प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा का महत्व

यात्रा के अवसर:

- प्रधानमंत्री की यात्रा में **भारतीय नौसेना के लिए** 26 राफेल-एम (समुद्री संस्करण) लड़ाकू विमानों **की खरीद और सार्वजनिक क्षेत्र के मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में** तीन और स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियों के सह-उत्पादन पर समझौते या घोषणा की, जो पहले ही एक समझौते के तहत **छह स्कॉर्पीन/कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों** का उत्पादन कर चुकी है।

डिजिटल प्रौद्योगिकी सहयोग:

- डिजिटल प्रौद्योगिकी सहयोग पर एक और रोडमैप 6 जी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम कंप्यूटिंग **के सहयोग चल रहा हैं।**

सहयोग के लिए सामान्य आधार:

- भारत और फ्रांस दोनों अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को महत्व देते हैं, अपनी विदेश नीतियों में स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं, और एक बहुध्रुवीय दुनिया चाहते हैं , भले ही दोनों विश्व व्यवस्था में अमेरिका के स्थान और महत्व को स्वीकार करते हैं।

हिंद-प्रशांत में सहयोग:

- हिंद-प्रशांत में क्षेत्रों के साथ एकमात्र यूरोपीय संघ के राज्य के **रूप में, फ्रांस** समुद्री डोमेन जागरूकता बनाने **और क्षेत्र में** चीन की उपस्थिति पर नजर **रखने के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार हो सकता** है, जिससे क्वाड में नई दिल्ली की भागीदारी बढ़ सकती है।

आगे का रास्ता-

- यूक्रेन पर रूस के आक्रमण और इसके कारण हुए भू-राजनीतिक परिवर्तनों ने भारत के रणनीतिक महत्व के बारे में एक नई यूरोपीय जागरूकता लाई है।
- भारत को उम्मीद है कि यूक्रेन में युद्ध को लेकर मतभेद सकारात्मक परिणाम को बाधित नहीं करेंगे।
- यह यात्रा प्रधानमंत्री को युद्ध के फ्रांसीसी और यूरोपीय मूल्यांकन को बेहतर ढंग से समझने और जी 20 शिखर सम्मेलन में आम सहमति बनाने के संबंध में "व्यक्तिगत निर्णय" लेने के लिए तैयार होने का अवसर प्रदान कर सकती है।

Rajiv Pandey

मानहानि

पाठ्यक्रम: जीएस 2 / भारतीय संविधान

संदर्भ-

- हाल ही में , काँग्रेस ने राहुल गांधी की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर गुजरात उच्च न्यायालय का फैसला मानहानि, अयोग्यता और चुनावी प्रतिनिधित्व कानून पर प्रासंगिक सवाल उठाया है।

प्रमुख बिन्दु-

- उच्च न्यायालय आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 389 के तहत श्री गांधी के खिलाफ दोषसिद्धि के आदेश को निलंबित करने के सत्र न्यायालय के इनकार को चुनौती देने वाली एक याचिका पर फैसला कर रहा था।
- अदालत ने अंततः इस सिद्धांत पर भरोसा करते हुए याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार कर दिया कि दोषसिद्धि पर रोक एक नियम नहीं है, बल्कि दुर्लभ मामलों में एक अपवाद है।

भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

- भारत के संविधान ने **अनुच्छेद 19 (2**) के तहत "मानहानि" को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपवादों में से एक के रूप में घोषित किया था , जिसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 (मानहानि की परिभाषा और सजा) के तहत मान्य किया गया था।
- राहुल गांधी की टिप्पणी , "सभी चोरों का मोदी उपनाम क्यों होता है " धारा 499 के अनुसार किसी के विषय में अपमान जनक टिप्पणी करना , झूठी बात फैलाना, उसकी प्रतिष्ठा के खिलाफ कुछ लिखना , छापना या छपवाना मानहानि माना जाता है।
- अदालत में मजिस्ट्रेट की राय थी कि मोदी उपनाम वाले या मोदी समुदाय से संबंधित लोग की समाज में उनकी छवि धूमिल हुई है।

Yojna IAS योजना है तो सफलता है yojnaias.com

संबंधित संवैधानिक प्रावधान:-

अनुच्छेद 19:-

- सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शांति पूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होना, संघों का गठन करना, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमना, भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में निवास करना और बसना और किसी भी पेशे का अभ्यास करना, या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को करना।
- इस अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध भारत की संप्रभुता और अखंडता , राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों , सार्वजनिक व्यवस्था , शालीनता या नैतिकता के हित में या अदालत की अवमानना, **मानहानि** या किसी अपराध के लिए उकसाने के संबंध में लगाए जा सकते हैं।

अनुच्छेद 102: –

- अयोग्यता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 102 में दिया गया है, जो निर्दिष्ट करता है कि एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने और कुछ शर्तों के तहत संसद सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।
- इनमें लाभ का पद धारण करना , अस्वस्थ मस्तिष्क या दिवालिया होना, या भारत का नागरिक नहीं होना शामिल है।
- यह संसद को अयोग्यता की शर्तों को निर्धारित करने वाले कानून बनाने के लिए भी अधिकृत करता है। राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के लिए समान प्रावधान हैं।

अनुच्छेद 136: सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपील करने की विशेष अनुमति

- सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्यक्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किये गए या दिये गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारण, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध अपील करने की विशेष आज्ञा दे सकता है।
- यह सशस्त्र बलों से संबंधित या किसी भी कानून के तहत गठित किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा पारित या बनाए गए किसी भी निर्णय, निर्धारण, वाक्य या आदेश पर यह SLP लागू नहीं होगा।

मानहानि पर पहले के फैसले-

प्रभाकरन बनाम पी. जयराजन (2005):

- चुनावों और मौजूदा सदस्यों के लिए उम्मीदवारों के अलग-अलग व्यवहार को अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) के तहत चुनौती दी गई थी।
- अदालत ने फैसला किया कि एक प्रतियोगी और मौजूदा सदस्य को अयोग्य घोषित करने के परिणाम अलग-अलग थे।
- अदालत ने विचार किया कि क्या अयोग्य उम्मीदवार के मामले में , जिसे बाद में बरी कर दिया गया है , अयोग्यता को पूर्वव्यापी प्रभाव से हटा दिया जाएगा।
- इसने कहा कि ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके लिए चुनाव के परिणामों को रद्द करने की आवश्यकता होगी। इसलिए, अयोग्यता को हटाना भविष्य के चुनावों के लिए संभावित होगा।

लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013) मामला :

- यह कहा गया था कि अनुच्छेद 102 संसद को "संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए " किसी व्यक्ति की अयोग्यता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है।
- फैसले में अनुच्छेद 101 का हवाला दिया गया , जिसमें प्रावधान है कि अगर एक सांसद को अनुच्छेद 102 के तहत अयोग्य घोषित किया गया था, तो "उसकी सीट खाली हो जाएगी "।
- अयोग्यता स्वचालित थी और अनुच्छेद 102 की शर्तों को पूरा करने पर तत्काल प्रभाव पड़ता था ।

आगे का रास्ता

- इन उदाहरणों के आलोक में, यह देखा जाएगा कि क्या शीर्ष अदालत मोदी उपनाम वाले लोगों को "व्यक्तियों का समूह" कहलाने के लिए एक पहचान योग्य या निश्चित वर्ग के रूप में देखेगी।

- विभिन्न मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून के सिद्धांतों को मिलाते हुए , यह शीर्ष अदालत पर छोड़ दिया जाता है कि वह अनुच्छेद 136 के तहत वास्तविक न्याय करने के लिए अपनी व्यापक शक्ति का उपयोग करेगी।

स्रोत: TH

Rajiv Pandey

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com